

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

सुशील कुमार,
निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव।

सेवा में,

सभी निदेशक, शिक्षा विभाग
राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा कार्यालय, बुद्ध मार्ग, पटना
निदेशक, पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र
प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लि0
प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लि0
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड (BBOSE)
सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (माध्यमिक/उच्च माध्यमिक), पटना
सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना
सचिव, बिहार राज्य मदरसा बोर्ड
निदेशक, संस्कृत अकादमी
निदेशक, मगही अकादमी
निदेशक, मैथिली अकादमी
निदेशक, भोजपुरी अकादमी
निदेशक, बंगला अकादमी
निदेशक, दक्षिण भारतीय भाषा अकादमी
निदेशक, अखिल भारतीय भाषा अकादमी
निदेशक, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी
निदेशक, के0पी0 जायसवाल शोध संस्थान
निदेशक, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद
निदेशक, जगजीवन राम संसदीय अध्ययन तथा राजनीतिक शोध संस्थान
निदेशक, Institute of Post Graduate Studies and Research in Arabic and Persian Learning
प्राचार्य, राजकीय महिला महाविद्यालय, गर्दनीबाग/गुलजारबाग
सभी कुलसचिव,
पटना विश्वविद्यालय, पटना
मगध विश्वविद्यालय, बोध गया
वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा
कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा
तिलका माँझी विश्वविद्यालय, भागलपुर
बाबा साहेब भीम राव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर
जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा
भूपनेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा
मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना
पाटलीपुत्रा विश्वविद्यालय, पटना
मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर
पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ।

विषय :

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अनुपालन तथा अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 26.04.2019 को 11:00 बजे पूर्वाह्न आहूत बैठक में भाग लेने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना में विचाराधीन समादेश याचिका सं0-17372/2017 शम्भु शरण सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य से संबंधित मामलों में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के दिशा निर्देश के आलोक में निदेशालयों/निगमों एवं विश्वविद्यालयों

में ठेका पर/दैनिक वेतन भोगी/संविदा/आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि प्रकीर्ण अधिनियम, 1952 के अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बचे कर्नियों को नाह अप्रैल 2019 में EPF खाता से आच्छादित कर दिये जाने का निर्णय लेते हुए इस आशय का शपथ-पत्र माननीय उच्च न्यायालय में दायर किया गया है।

अनुरोध है कि इस मामले में अद्यतन प्रतिवेदन के साथ अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 26.04.2019 को 11:00 बजे पूर्वाह्न मदन मोहन झा स्मृति सभागार में आहूत बैठक में भाग लेने की कृपा की जाय।


विश्वासभाजन,
ह0/-
(सुशील कुमार),
निदेशक (प्र0)-सह-अपर सचिव

ज्ञापांक :- 04/वि0-16-10/2017..... पटना, दिनांक :-.....
प्रतिलिपि :- श्री राजेश पाण्डेय, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, तृतीय तल, आर0 ब्लॉक, रोड नं0-06, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. अप्रैल 2019 तक सारे EPF खाते को संधारित करने हेतु निदेशित किया गया था। इसके अद्यतन स्थिति के साथ अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 26.04.2019 को 11:00 बजे पूर्वाह्न आहूत बैठक में भाग लेने की कृपा की जाय।

ह0/-
निदेशक (प्र0)-सह-अपर सचिव

ज्ञापांक :- 04/वि0-16-10/2017.....⁶⁷¹ पटना, दिनांक :-.....^{15/04/19}
प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, विहार, पटना को सभी संबंधितों को ई-मेल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक (प्र0)-सह-अपर सचिव